



समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक जिला - जबलपुर  
अपील-2921/2018/जबलपुर/भू-रा  
मुकेश कुमार भूमियां पिता रतिराम भूमियां  
निवासी म0नं0 275 ग्राम उमरिया  
वाटर वक्स रोड थाना बरेला  
जिला जबलपुर

— अपीलार्थी

विरुद्ध

1- अशरूत बेन पिता ओमप्रकाश बेन  
निवासी गली नं0 9 पो. सदर कैंट  
जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा  
कलेक्टर, जिला जबलपुर

— प्रत्यर्थागण

*राजस्व मण्डल*  
आज दि. 11.5.18 को  
प्रारंभिक प्रारंभिक  
दिनांक 28.5.18  
मलका अंश कैंट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्र0 क्रं0 523/अपील /2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16.3.18 के विरुद्ध.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

तथ्य

1- यहकि अपीलार्थी द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की भूमि ग्राम उमरिया प0ह0नं0 28 नया 16 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 101 रकबा 0.271 जो उसके द्वारा दिनांक 14-7-15 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई है, को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किए जाने बावत आवेदन जिलाध्यक्ष के समक्ष दिया गया जिस पर से जिलाध्यक्ष ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी को जांच प्रतिवेदन हेतु आवेदन भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण नायब तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया । नायब तहसीलदार ने हल्का पटवारी से विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया और प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष को प्रेषित


*Debnath*  
11/5/18

*3*

प्रकरण क्रमांक - अपील/2921/2018/जबलपुर/भू0रा0

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| २९/५/१८          | <p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 523/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16-3-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम उमरिया प0ह0नं0 28 नया 16 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 101 रकबा 0.271 को गैर आदिवासी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा। तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 07-11-17 द्वारा अपीलार्थी का भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत</p> |  |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br><br>- 3 -   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
|                  | <p>अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा दिनांक 14-7-15 को भूमि क्रय की है और उसके एक वर्ष के भीतर ही भूमि गैर-आदिवासी को विक्रय का अनुबंध किया है जो संदेहास्पद है और बेनामी अंतरण की श्रेणी में आता है, आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि है । भूमि क्रय करने के बाद एक वर्ष के अंदर उसे विक्रय नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । आवेदक के अनुसार उसके पास जीवन-यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष बच रही है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को उसके स्वामित्व एवं</p> |  |



| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर     |
|------------------|---|--|
|                  | <p>आधिपत्य की ग्राम उमरिया प0ह0नं0 28 नया 16 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 101 रकबा 0.271 को प्रत्यर्थी क्रमांक 1/गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंक चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामतः अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p>( 3 )</p> | <p>( एम. गोपाल रेड्डी )<br/>प्रशा0 सदस्य</p> |